डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-23, अंक-04, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

13 अगस्त 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 16, निःशुल्क

छत्तीसगढ़ के 25 लाख से अधिक किसानों को अब तक 9,700 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का जताया आभार

पीएम किसान सम्मान निधि से अन्नदाताओं को संबल

सावन के पवित्र मास में छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को आर्थिक संबल का उपहार मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर के 9.7 करोड़ किसानों को कुल 20,500 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में अंतरित की गई। इसमें छत्तीसगढ़ के 25 लाख 47 हजार से अधिक किसानों को 553 करोड़ 34 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के सभागार से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए किसानों को संबोधित करते हुए कहा - "किसानों की समृद्धि ही विकसित छत्तीसगढ़ की नींव है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अन्नदाताओं के सम्मान का प्रतीक बन चुकी है।"

कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने बताया कि "विकसित कृषि संकल्प अभियान" के माध्यम से एक लाख से अधिक किसानों से सीधा संवाद कर उन्हें उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई है।

किस्त	जारी तिथि	लाभान्वित किसान	राशि (करोड़ में)
पहली	22/02/2019	113087	22.61
दूसरी	02/05/2019	1063966	212.79
तीसरी	01/11/2019	1966147	393.23
चौथी	04/04/2020	2187733	437.48
पांचवीं	25/06/2020	2772845	554.23
छठवीं	09/08/2020	2771561	554.15
सातवीं	25/12/2020	3125569	624.40
आठवीं	14/05/2021	2848575	624.92
नौवीं	10/08/2021	3024425	665.33
दसवी	01/01/2022	3106404	635.43

किस्त	जारी तिथि	लाभान्वित किसान	राशि (करोड़ में)
11वीं	01/06/2022	2735457	723.00
12वीं	17/10/2022	2011433	480.13
13वीं	27/02/2023	1992208	456.68
14वीं	27/07/2023	2029766	451.11
15वीं	15/11/2023	2154670	576.16
16वीं	28/02/2024	2293882	562.84
17वीं	18/06/2024	2359000	483.85
18वीं	05/10/2024	2498000	566.77
19वीं	24/02/2025	2595832	599.38
20वीं	02/08/2025	2547000	553.34

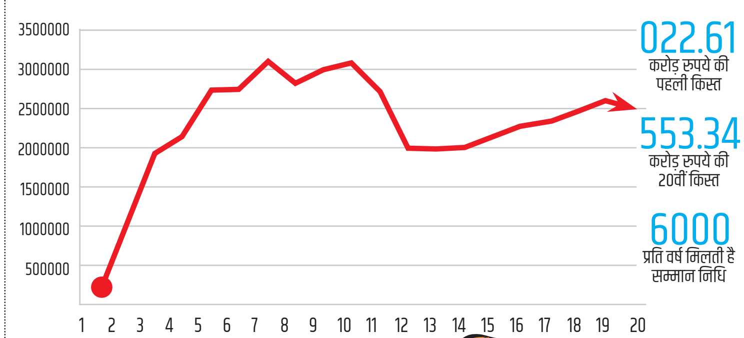

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

- कृषक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दिसम्बर, 2018 से "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan)" योजना का प्रारंभ।
- योजनांतर्गत पंजीकृत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष राशि रू. 6000/- (रू. 2000 की तीन समान किस्तों में) DBT के द्वारा प्रदान किया जाता है।
- योजनांतर्गत सभी वर्ग एवं श्रेणी के किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिनका नाम भू-अभिलेख में दर्ज है तथा जो अपवर्जन की श्रेणी में नहीं आते हों।
- योजनांतर्गत जिन किसानों का KYC, Land Record Integration of Aadhar Verification पूर्ण है, उन किसानों को ही 20वीं किस्त की राशि प्रदान की गयी है।

कैसे चेक करें लाभार्थियों की सूची में अपना नाम

- वेबसाइट www.pm-kisan.gov.in पर जाएं
- 'Farmer Corner' में 'लाभार्थी सूची' (Beneficiary List) पर क्लिक करें
- राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी दर्ज करें
- 'Get Report' पर क्लिक करें – अब आपके गांव के लाभार्थियों की सूची आ जाएगी
- लिस्ट में अपना नाम जांचें

संपूर्णता अभियान

बस्तर व कोंडागांव को स्वर्ण पदक

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने संपूर्णता अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आकांक्षी जिलों और विकासखंडों को सम्मानित किया। बस्तर व कोंडागांव जिलों सहित छह विकासखंडों को सभी छह संकेतकों में पूर्ण संतृप्ति के लिए स्वर्ण पदक मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों और दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की सबसे अधिक आवश्यकता है। रजत, कांस्य और ताम्र पदकों से अन्य जिलों और विकासखंडों को भी नवाजा गया। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम बताया।

कौशल तिहार 2025

288 युवाओं का राज्यस्तरीय चयन

छत्तीसगढ़ में आठ साल बाद आयोजित कौशल तिहार 2025 में 2,530 युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 288 का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। 21 से 31 जुलाई तक जिलास्तर पर हुए इस आयोजन में 10 प्रमुख ट्रेडों में प्रतियोगिताएं हुईं। मुख्यमंत्री ने चयनित प्रतिभागियों को बधाई देते हुए इसे युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। राज्यस्तरीय प्रतियोगिता से चयनित युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

आयुष्मान भारत योजना

छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर

छत्तीसगढ़ ने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अब तक 78 लाख से अधिक लाभार्थियों को निशुल्क इलाज मिला है। राज्य देश में उपचार मामलों में चौथे स्थान पर है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता और वय वंदन योजना के समन्वय से यह सेवा और सशक्त हुई है। 4.5 लाख वय वंदन कार्ड बनाए गए हैं। 6 जिलों को वय मित्र जिला घोषित कर वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही है। योजना का लाभ जनसामान्य तक पहुंचाने में राज्य अग्रणी है।

बस्तर ओलंपिक "खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स" के रूप में

राजधानी रायपुर और बिलासपुर में 220 बेड के मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुलने से राज्य को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा के साथ-साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेंगी। इस पर केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार शीघ्र ही इस प्रस्ताव पर आवश्यक स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके साथ ही, मंत्री ने बस्तर ओलंपिक को इस वर्ष से "खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स" के रूप में आयोजित करने की सहमति भी दे दी। इस दौरान लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थापित करने, खेल सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु नए स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इन पहलों को युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया।

छत्तीसगढ़ में निकल, क्रोमियम और प्लेटिनम मिला

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनम समूह के तत्वों (PGEs) की खोज से राज्य ने खनिज विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड (DGML) द्वारा भालुकोना-जामनीडीह क्षेत्र में किए गए अन्वेषण से लगभग 700 मीटर लंबी खनिजीकृत पट्टी की पुष्टि हुई है। यह खोज छत्तीसगढ़ को रणनीतिक खनिजों के मानचित्र पर स्थापित करती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निर्णायक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह खोज हरित ऊर्जा, हाई-टेक तकनीकों और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खनिज संसाधन विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद ने इसे वैज्ञानिक से अधिक रणनीतिक छलांग बताया। राज्य सरकार ने रणनीतिक खनिजों के लिए क्रिटिकल मिनरल सेल का गठन किया है और 51 ब्लॉकों की सफल नीलामी की जा चुकी है।

बोधघाट परियोजना

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री से मुलाकात

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल से मुलाकात की। बैठक में बस्तर की बहुप्रतीक्षित बोधघाट बहुद्देशीय परियोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना से 8 लाख हेक्टेयर सिंचाई और 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन संभव है। नक्सल प्रभाव घटने से अब विकास के लिए अनुकूल वातावरण है। श्री पाटिल ने शीघ्र तकनीकी परीक्षण और सहयोग का आश्वासन दिया।

रेल क्रांति

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर-जबलपुर नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा किया शुभारंभ

रायपुर से जबलपुर 410 किलोमीटर का सफर अब सिर्फ 8 घंटे में

मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन से रायपुर-जबलपुर नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सेवा न केवल छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश को जोड़ती है, बल्कि महाराष्ट्र को भी सशक्त रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम करती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दीं

रायपुर-जबलपुर का नया शेड्यूल और सुविधाएं

- रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह ट्रेन प्रतिदिन दो फेरे में चलेगी।
- गाड़ी संख्या 11701 रायपुर से दोपहर 2:45 बजे रवाना होकर रात 10:45 बजे जबलपुर पहुंचेगी।
- वापसी में गाड़ी संख्या 11702 जबलपुर से सुबह 6:00 बजे चलकर दोपहर 1:50 बजे रायपुर पहुंचेगी।
- कुल 15 कोच होंगे, 1 एसी चेयर कार, 4 चेयर कार, 8 सामान्य कोच, 1 पावर कार और 1 SLRD कोच।

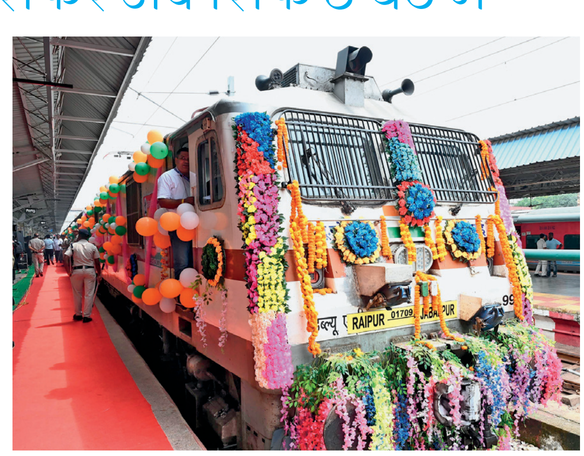

पिक ऑफ द वीक

रक्षाबंधन

जांजगीर-चांपा जिले में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंटकर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर महिला स्वसहायता समूह की बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधकर भाईचारे, स्नेह और विश्वास का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। बहनों ने मुख्यमंत्री के लंबे, स्वस्थ और सफल जीवन की कामना की।

छत्तीसगढ़ संदर्भ

दुर्ग जिला

- **भौगोलिक क्षेत्र:** 271862 वर्ग किमी
- **कुल विधानसभा सीट :** 6 (पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर सामान्य, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा)
- **तहसील की संख्या :** 6 (धमधा, दुर्ग, पाटन, बोरी, अहिवारा, भिलाई-3)
- **जनपद:** 3 (दुर्ग, धमधा, पाटन)
- **ब्लॉक:** 3 (दुर्ग, धमधा, पाटन)
- **नगर पंचायत:** 4 (धमधा, पाटन, उतई, अमलेश्वर)
- **नगर पालिका:** 3 (अहिवारा, कुम्हारी, जामुल)
- **नगर निगम :** 4 (दुर्ग, भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरौदा)
- **गाँव:** 389
- **ग्राम पंचायत:** 300
- **पुलिस स्टेशन:** 28

स्रोत : https://durg.gov.in/

छत्तीसगढ़ के विकास को मिली नई ऊर्जा
प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

1 नवंबर के 'अमृत रजत महोत्सव' में प्रधानमंत्री को किया आमंत्रित

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने संसद भवन, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1 नवंबर को रायपुर में आयोजित 'अमृत रजत महोत्सव' में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने का न्यौता दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री को राज्य की प्रमुख विकास योजनाओं, भावी प्राथमिकताओं तथा जनकल्याण के लिए चल रही पहलों की विस्तार से जानकारी दी।

'अंजोर विजन @2047' प्रस्तुत

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार द्वारा तैयार 'अंजोर विज़न @2047' दस्तावेज़ की जानकारी दी, जो विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप छत्तीसगढ़ के समावेशी और सतत विकास की व्यापक रणनीति को प्रस्तुत करता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, नवाचार, उद्योग और पर्यावरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित सुधारों और योजनाओं की रूपरेखा शामिल है।

'जन विश्वास विधेयक 2025' से राहत

राज्य सरकार ने केंद्र के जन विश्वास अधिनियम 2023 से प्रेरणा लेकर राज्य में जन विश्वास विधेयक 2025 पारित किया है। इससे न्याय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है और नागरिकों को त्वरित व सुलभ न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

नवा रायपुर स्मार्ट राजधानी के रूप में

छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCRDA) के गठन और नवा रायपुर को एक आधुनिक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर में देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखी जा चुकी है, और एआई डेटा सेंटर का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है।

उद्योग और निवेश में रिकॉर्ड प्रगति

नई औद्योगिक नीति 2024-30 के क्रियान्वयन के साथ राज्य में औद्योगिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच राज्य को 6.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम और रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन जैसे उपायों के चलते निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है।

स्रोत : https://dprcg.gov.in/

जॉब अलर्ट

पंजाब शिक्षा विभाग
पद: पीटीआई टीचर
पद संख्या: 2000
अंतिम तिथि: 22 अगस्त
ssapunjab.org

भारतीय सेना
पद: टेक्निशियन
पद संख्या: 381
अंतिम तिथि: 22 अगस्त
joinindianarmy.nic.in

आरपीएससी
पद: असिस्टेंट एग्री. इंजीनियर
पद संख्या: 281
अंतिम तिथि: 26 अगस्त
rpsc.rajasthan.gov.in

यूपी-टीजीटी
पद: असिस्टेंट लेक्चरर
पद संख्या: 7466
अंतिम तिथि: 28 अगस्त
www.uppsc.up.nic.in

चंडीगढ़ शिक्षा विभाग
पद: जूनियर बेसिक शिक्षक
पद संख्या: 218
अंतिम तिथि: 28 अगस्त
www.ssachd.nic.in

सीसीआरएएस
पद: एलडीसी सहित अन्य
पद संख्या: 394
अंतिम तिथि: 31 अगस्त
https://ccras.nic.in/

ईएसआईसी
पद: असिस्टेंट प्रोफेसर
पद संख्या: 243
अंतिम तिथि: 15 सितंबर
www.esic.gov.in

आईजीआई एविएशन में 1446 पदों पर भर्ती, आवेदन 21 सितंबर तक

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एविएशन सर्विसेस ने एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और लोडर्स के 1446 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक अभ्यर्थी 21 सितंबर 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट igiaviationdelhi.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ के लिए 12वीं और लोडर्स के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। ग्राउंड स्टाफ को 25,000 रुपए और लोडर्स को 15,000-25,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। आवेदन शुल्क 350 रुपए (ग्राउंड स्टाफ) और 250 रुपए (लोडर्स) है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है।

राजस्थान में 1100 वेटरनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने पशु चिकित्सा अधिकारी (वेटरनरी ऑफिसर) के 1100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 सितंबर 2025 रात 12 बजे तक है। परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों की आयु 1 जनवरी 2026 को 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पात्र उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in से वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी और विस्तृत पाठ्यक्रम बाद में जारी होगा।

BSF कॉन्स्टेबल में 3588 ट्रेड्समैन पदों पर भर्ती

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के 3588 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 25 अगस्त 2025 तक www.bsf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इनमें पुरुषों के लिए 3406 और महिलाओं के लिए 182 पद आरक्षित हैं। उम्मीदवारों को 10वीं पास के साथ संबंधित ट्रेड में ITI या NCVT/SCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल हैं। उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को 21,700 रुपए से 69,100 रुपए वेतन मिलेगा।

ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3115 पदों पर भर्ती, आवेदन 13 सितं.तक

ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3115 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 13 सितंबर 2025 तक । इच्छुक अभ्यर्थी rrcer.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10वीं में न्यूनतम 50% अंक और संबंधित ट्रेड में NCVT/SCVT सर्टिफिकेट आवश्यक है। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है। चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए आमंत्रित किया जायेगा। नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को मेडिकली रूप से फिट होना अनिवार्य होगा।

रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक
डॉ. रवि मित्तल

संपादक
जवाहर लाल दरियो

उप महाप्रबंधक (विपणन)
नितिन शर्मा

सहायक संपादक
गीतांजलि नेताम

संपादकीय
संदीप सिन्हा

ग्राफिक डिजाइन-इलेस्ट्रेशन
धनेश कुमार दिवाकर

डाटा एंट्री आपरेटर
अंजुरानी, राकेश साहू

वितरण व्यवस्था
विक्रांत ताम्रकार

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन नि:शुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विज्ञापन क्रमांक 03/2025 दिनांक 01/08/2025

पद का नामः- आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
(कार्य :- सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राईवर, पेन्ट्री स्टाफ, पम्प अटेन्डेन्ट)

आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथिः- 23/08/2025 संध्या 5:00 बजे तक

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना में "आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यः- सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राईवर, पेन्ट्री स्टाफ, पम्प अटेन्डेन्ट)" के पद की भर्ती हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

पद का नाम	**आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्य :- सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राईवर, पेन्ट्री स्टाफ, पम्प अटेन्डेन्ट)**	
वेतनमान	कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय-समय पर निर्धारित दैनिक वेतन	
पदों की कुल संख्या	34	
वर्गवार पदों का विवरण	अनारक्षित - 17 (05 पद महिला) अनुसूचित जाति - 06 (01 पद महिला) अनुसूचित जनजाति - 07 (02 पद महिला) अन्य पिछड़ा वर्ग - 04 (01 पद महिला)	कुल रिक्तियों में से 02 पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित) OA, OL, LV, HH, OH (Except Chowkidar), Acid attack victim, Dwarfism, Leprosy Cured, Autism
शैक्षणिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / स्कूल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य। 8वीं से अधिक योग्यता धारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।	

Abbreviation:- OA-One Arm, OL - One Leg, BL- Both, OAL - One Arm One Leg, LV-Low Vision, HH-Hearing Impaired, B-Blind, OH-Orthopaedically impaired."

नोट :- 1. पद की संख्या में किसी भी समय कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

2. पदों के संबंध में विज्ञापन/भर्ती तथा नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन S.L.P. (C) No. 19668/2022 द्वारा पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

3. मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी, ऐसे आवेदक, जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के रूप में विचारित किये जाएगें, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं।

4. अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिये।

5. महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हों।

6. ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है, उन्हें आरक्षित दिव्यांग पद के विरूद्ध विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें उनके संबंधित वर्ग में माना जाएगा।

7. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता केवल आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में दिये गये निर्धारित प्रारूप में अपना "शपथ-पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न है) -

(1) सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 5/- 10/-20/- अथवा 50/- रूपये के स्टाम्प पर जो भी सुविधानुसार उपलब्ध हो, नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को उपरोक्त शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में सादे कागज में नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

(4) शपथ पत्र में असत्य कथन करने पर आवेदक के विरूद्ध झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के आधार पर उसके विरूद्ध किसी भी स्तर पर आपराधिक / दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

8. प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता और अन्य संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में, नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त / समाप्त की जा सकेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। आवेदक की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर आवेदक के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

अन्य शर्ते :-

1. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिये।

2. दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परन्तु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। (केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हेतु आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी)

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

1. छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष

2. महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष (केवल ऐसी महिलाऐं, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हों)

3. स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हेतु उपरोक्त छूट के अतिरिक्त 05 वर्ष। परन्तु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हो।

4. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) एवं मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध विचारित किया जाएगा। उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

5. आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जाएगा।

6. आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

7. एक से अधिक पति/पत्नी न हो अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह होंगे।

8. वह किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

9. वह किसी नैतिक धृष्टता (Moral turpitude) हेतु दोषी न ठहराया गया हो या किसी उच्च न्यायालय / संघ/ राज्य सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह न किया गया हो।

10. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले [बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, (POCSO Act), 2012 के अंतर्गत प्रकरण] लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

11. प्रारूप अनुसार टंकित एवं पूर्णतः भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज (यथा जन्म/आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 8 वीं प्रमाण पत्र), जाति, निवास एवं अनुभव प्रमाण पत्र सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिखा हो तथा लिफाफे के बांई ओर विज्ञापन क्रमांक 03/2025 तथा दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो एवं रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी,

क्रमशः

बिलासपुर (छत्तीसगढ़), पिन-495220 को संबोधित हो, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के गेट क्रमांक 02 में रखे गये ड्रॉप बॉक्स' में अंतिम तिथि **23/08/2025** की संध्या 05:00 बजे तक डाले जा सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा इस संबंध में कोई पत्राचार भी स्वीकार्य नहीं होगा। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

12. केवल ऐसे आवेदक जो किसी शासकीय सेवा में सेवारत् हैं, उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता (Employer) के माध्यम से अथवा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि इस विज्ञापन के जारी होने के बाद का हो, सहित रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), पिन-495220 को संबोधित लिफाफा ड्रॉप बॉक्स अथवा पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
13. विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
14. आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राईवर, पेन्ट्री स्टाफ, पम्प अटेन्डेन्ट) के लिए एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा जिसे आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के रूप में परिभाषित किया गया है।
15. बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
16. आवेदक, आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर ले। आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद पृथक से कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा। साथ ही इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
17. नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी आवेदन पत्र को छंटाई के दौरान या कभी भी बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा।
18. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित कमेटी /सब-कमेटी द्वारा सम्पन्न की जाएगी। कमेटी/सब-कमेटी को चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।
19. आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का चयन कौशल परीक्षा (Skill Test) के माध्यम से किया जाएगा।
20. नियुक्ति हेतु चयन प्रकिया नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित कमेटी / सब-कमेटी द्वारा सम्पन्न की जावेगी। इस कमेटी/सब-कमेटी को चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। विज्ञापित पदों की संख्या से 100 गुना से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उपयुक्त आवेदकों की छंटाई के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं की परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांक के आधार पर प्रारंभिक छंटाई की जा सकेगी। यह छंटाई पद के योग्यता एवं अनुभव के आधार पर की जा सकती है।
21. अभ्यर्थियों के कौशल परीक्षा (Skill Test) में प्राप्त अंक के आधार पर प्रावीण्य सूची (Merit List) बनाई जाएगी।
22. कौशल परीक्षा (Skill Test) की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाईट https://highcourt.cg.gov.in पर अपलोड किया जाएगा तथा कौशल परीक्षा (Skill Test) की सूचना उम्मीदवारों को स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। इस हेतु प्रवेश पत्र भी वेबसाईट पर अपलोड किया जावेगा जिसे आवेदक डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे, जो उनकी परीक्षा के लिए वैध/अधिकृत प्रवेश पत्र होगा। किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप में कौशल परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र / बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।
23. किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता (TA/DA) नहीं दिया जाएगा।
24. कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह (योग्य) मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह (अयोग्य) पाये जाने पर उसका आवेदन / चयन निरस्त कर दिया जाएगा।
25. आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय-समय पर निर्धारित दैनिक वेतन पर नियुक्त किया जाएगा एवं उनकी नियुक्ति किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेंगी।
26. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
27. प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।
28. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया / कौशल परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।
29. कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि / निरिक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।
30. यह विज्ञापन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्ते तथा आचरण) नियम 2017 के अध्यधीन है।

उपरोक्त शर्तें स्वीकार्य होने पर ही अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन करें। संपूर्ण विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप इस उच्च न्यायालय के वेबसाईट https://highcourt.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

(मनीष कुमार ठाकुर)
रजिस्ट्रार जनरल

आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन क्रमांक 03/2025 दिनांक 01/08/2025

आवेदित पद का नामः- आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

स्व प्रमाणित वर्तमान पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में):-------------------------
(श्री/श्रीमती/कु.)
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में):--------------------------
2. पिता/पति का पूरा नामः-------------------------
3. जन्मतिथिः-------------------------
4. आयु दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में वर्ष ☐ माह ☐ दिन ☐
5. लिंग [महिला / पुरुष / तृतीय लिंग (Transgender Persons) :--------------
6. छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं अथवा नहीं (स्पष्ट उल्लेख करें) :---------------
(यदि है तो स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. रोजगार कार्यालय में पंजीयन है, अथवा नहीं पंजीयन क्रमांक----------------
(यदि है तो रोजगार कार्यालय में पंजीयन का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता (संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र	कक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	वर्ष	प्रतिशत

9. **शासकीय सेवक (स्थायी अथवा अस्थायी)**-----------------------------
(स्पष्ट उल्लेख करें)-------------------------
यदि है तो आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से प्रेषित करें अथवा विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात् वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करें
10. **आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु-**
क्या कोई अनुभव है अथवा नहीं---
(यदि है तो स्पष्ट उल्लेख करें तथा स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
11. क्या आवेदक दिव्यांग है, हाँ/नहीं---------दिव्यांगता का प्रतिशत.........................
यदि है तो स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. वर्ग (जो लागू हो)

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य

(स्वप्रमाणित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) की छायाप्रति संलग्न करें),

क्रमशः

(पृष्ठ 4 का शेष)

13. क्या आवेदक के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दाण्डिक प्रकरण दर्ज हुआ है / लंबित है/गिरफ्तारी हुई है/सजा हुई है, हाँ/नहीं ....(यदि हाँ तो स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण दें)

14. क्या आवेदक को किसी न्यायालय / शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया है, हाँ/नहीं .... (यदि हाँ तो स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण दें)

15. क्या आवेदक को उच्च न्यायालय या किसी अन्य शासकीय विभाग द्वारा शासकीय सेवा हेतु अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से अयोग्य (disqualified) अथवा प्रतिबंधित (banned) किया गया है, हाँ/नहीं ....(यदि हाँ तो स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण दें)

16. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता...
....

17. स्थायी पता ....
....

18. संलग्नकों की सूची-
1.................................2.......................................
3.................................4.......................................
5.................................6.......................................

घोषणा पत्र

मैं, एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी मेरी व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है। मैनें अपनी शैक्षणिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के संबंध में सही-सही पूर्ण विवरण दिया है। उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति चयन प्रक्रिया अथवा नियुक्ति उपरोक्त किसी भी समय समाप्त/निरस्त की जा सकेगी।

स्थान--------------

दिनांक-------------

(आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम)

शपथ-पत्र का प्रारूप

।। शपथ-पत्र ।।

मैं (शपथकर्ता का नाम)पिता/पति................ जन्मतिथि................. वर्ग..........निवासी................जिला.........का हूँ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना द्वारा जारी किये गये विज्ञापन क्रमांक-03/2025 में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों की भर्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र के संबंध में निम्नानुसार शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ:-

1. यह कि, मेरी शैक्षणिक योग्यता केवल आठवीं कक्षा उत्तीर्ण है। आठवीं से अधिक (उच्च योग्यता) मेरी शैक्षणिक योग्यता नहीं है।
2. मेरे आठवीं के अंकसूची में मेरा-----प्रतिशत अथवा----ग्रेड अथवा ---सी.जी.पी.ए. है।
3. यह कि, मैंने आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों की भर्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र में शैक्षणिक / तकनीकी / व्यवसायिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया हूँ एवं मेरे द्वारा कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है।
4. यह कि, उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति किसी भी समय समाप्त/निरस्त की जा सकेगी एवं मेरे विरूद्ध आपराधिक / दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी जिसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा / रहूँगी।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :------------

<u>सत्यापन</u>

मैं, एतद्वारा यह शपथ करता / करती हूँ कि कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक-01 से 04 तक में दी गयी समस्त जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार पूर्ण सत्य है।

दिनांक:-

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :-

नोट:- शपथ-पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करें। शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन शैक्षणिक संस्थानों से कराया जाएगा। यदि शपथ-पत्र में उल्लेखित तथ्य सत्यापन उपरांत या अन्य किसी स्तर पर असत्य पाये जाते हैं तब असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध कठोर आपराधिक / दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

आर.ओ.103/जी-252602579/5

शासकीय सह-शिक्षा पॉलीटेक्निक, बस्तर

आड़ावाल, जगदलपुर, छ0ग0-494001

(तकनीकी शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अधीन एवं अ.भा.त.शि.प. द्वारा अनुमोदित संस्थाबद्ध)
Tel. No.-07782-264260 email: gepbastar@gmail.com

क्र	पाठ्यक्रम/विभाग का नाम	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	तिथि एवं समय
1	मेटलर्जीकल इंजीनियरिंग	01	मान्यता प्राप्त विश्वविधालय / संस्था से संबंधित शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष। स्नातकोत्तर अभ्यर्थी हेतु स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर कोई एक डिग्री प्रथम श्रेणी में अनिवार्य।	18.08.2025 11:00 AM Monday

i) Marking scheme for selection/Appointment of Candidates for the post of part time Lecturer In Government coed Polytechnic Jagdalpur

S.no	Academic Record	Score
1	Graduation	10% of Percentage obtained in Graduation (max marks-10)
2	Post-graduation	20% Percentage obtained in post -graduation (max marks-20)
3	Mock teaching test	20 marks
4	Interview	50 marks

ii) Shortlisting of candidates: Criteria and Process

1. The Selection Committee will draw a list of all the candidates indicating the marks scored by them in descending order i.e. starting from the candidate getting the highest marks towards the candidates getting the lower marks.
2. In case of tie in the marks of two or more candidates, the candidate having the higher/highest marks at the Master's level shall be ranked above the other(s).
3. for appointment in the college, all candidates securing 60 marks and above shall be eligible for Selection/Appointment.
4. In case of any dispute with regard to screening of the aplications, the decision of the Selection Committee shall be final.

iii) Important Note:-

1. The entire onus of the content/authenticity of the information being submitted in the form of application and its attachments shall exclusively rest with the applicant in terms of eligibility for recruitment and for subsequent selection through due process.
2. The College shall, in no way, be responsible for any error/ omission/ commission/ suppression of relevant information by the applicant knowingly/ unknowingly overtly/covertly while filling up the application form and the documents required there in.
3. In case the applicant gets selected/appointed on the basis of the credentials furnished by him/her which are, on scrutiny, found to be incorrect/ inadmissible/forged/fabricated/faulsified, his/her candidature shall be liable to be cancelled at any stage of the recruitment/at any time during the tenure of the service and appropriate legal action under applicable law shall be initiated against the applicant.
4. The College reserves the right to modify/withdraw/cancel any communication made to the applicant. In case of any dispute arising out of such a situation, the decision of the College shall be final and binding on the applicant.

आर.ओ.104/जी-252602574.4

कुमार साहब स्व. श्री दिलीप सिंह जुदेव जी

शासकीय सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, बिलासपुर

पताः- विवेकानंद आश्रम के सामने, कोनी, बिलासपुर, पिन-495009 टेलीफोनः 07752-299808 299809

ईमेलः- sshcimsbilaspur@gmail.com

क्रमांक/1764/ स्थापना/सु.स्पे.हॉ. बि/2025 — बिलासपुर, दिनांकः 30/07/2025

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-12-02/2022/55 नया रायपुर दिनांक 24.03.2022 एवं एफ 3-22/2022/55, दिनांक 20.06.2022 के द्वारा सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय बिलासपुर हेतु रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर के अधिसूचना दिनांक 31.12.2012 संविदा नियुक्ति नियम '2012' तथा छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, के पत्र क्रमांक एफ 3-53/2012/नौ/55 रायपुर दिनांक 19 अगस्त 2013 के अनुसार कुमार साहब स्व० श्री दिलीप सिंह जुदेव जी शासकीय सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय कोनी बिलासपुर में संविदा भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से दिनांक 18.08.2025 से 25.08.2025 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार हैः-

क्रमांक	पदनाम	एकमुश्त संविदा वेतन	पद संख्या	संवर्ग	मुक्त	महिला	निःशक्तजन	योग	शैक्षणिक अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	स्टॉफ नर्स	26490/-	43	अना	-	19	-	19	(1) बी.एस.सी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक (बी. एस.सी नर्सिंग) प्रशिक्षण उत्तीर्ण। (2) केन्द्रीय / छ०ग० राज्य नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन।
				अ.ज.जा	-	11	-	11	
				अ.जा.	-	07	-	07	
				अपिव	-	06	-	06	
02	ई.सी.जी टेक्नीशियन	26490/	03	अना	01	-	-	01	(1) जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायनशास्त्र में हायर सेकेण्डरी परीक्षा / (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) शासकीय संस्थान से ई.सीजी/आई.सी.सी.यू. टेक्नीशियन पाठ्क्रम प्रशिक्षित। (3) राज्य पैरामेडिकल कांउसिल से पंजीकृत।
				अ.ज.जा	01	-	-	01	
				अ.जा.	01	-	-	01	
				अपिव	-	-	-	-	
03	डायलिसिस टेक्नीश्यान	26490/	05	अना	02	-	-	02	1. मान्यता प्राप्त संस्था से डायलिसिस टेक्नोलॉजी में बी.एस.सी या डायलिसिस टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। 2. राज्य पैरामेडिकल कांउसिल से पंजीकृत।
				अ.ज.जा	01	-	-	01	
				अ.जा.	01	-	-	01	
				अपिव	01	-	-	01	
04	कैथलैब टेक्नीशियन	26490/	04	अना	02	-	-	02	1 जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में हायर सेकेण्डरी परीक्षा / 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण। 2. शासकीय संस्थान से कैथ लैब टेक्नीशियन अथवा ई.सी.जी. एवं आई.सी.सी.यू. एक वर्षीय टेक्नीशियन पाठ्यक्रम प्रशिक्षित। 3. राज्य पैरामेडिकल कांउसिल से पंजीकृत।
				अ.ज.जा	01	-	-	01	
				अ.जा.	01	-	-	01	
				अपिव	-	-	-	-	
योग			55		12	43	-	55	

1. आयु सीमाः

(अ) आवेदक की आयु आवेदन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिये। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., महिला, विधवा एवं परित्यक्ता आदि को आयु सीमा में अतिरिक्त छूट नियमानुसार प्राप्त होगी। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये कक्षा आठवीं / हाई स्कूल/ हायर सेकेण्डरी का प्रमाण पत्र/अंकसूची एवं समस्त शैक्षणिक अर्हता हेतु अभिप्रमाणित शैक्षणिक प्रमाण पत्र की प्रति दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(ब) आयु सीमा छ०ग० शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 3-2/2015/1-3 अटल नगर रायपुर दिनांक 03.01.2024 के अनुसार छ०ग० के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में उक्त परिपत्र के कंडिका 2/ छ०ग० राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छ०ग० राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, के अध्याधीन रहेगी।

2. नियम एवं शर्तेः

1. उक्त संविदा भर्ती अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ- 13-1/2023/आ. प्र./1-3 नवा रायपुर, दिनांक 03.05.2023 के अनुसार सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल. पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होंगी।

2. उक्त संविदा भर्ती छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर के परिपत्र कमांक एफ 9-1/2012/1-3 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 10.07.2019 के तहत कार्यालयीन उपयोग हेतु छ०ग० सिविल सेवा नियम 2012 की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 31.12.2012 के अध्याधीन होगी।

3. उक्त संविदा भर्ती छ०ग० राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25.09.2015 छ0ग0 चिकित्सा शिक्षा विभाग अलिपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी सेवा में भर्ती नियम एवं छ०ग० राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 17.04.2012 छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी परिचारिका सेवा भर्ती नियम 2012 तथा सेवा की शर्तो के अध्याधीन होगी।

4. संविदा नियुक्ति उपरांत संविदा कर्मचारियों का वेतन का निर्धारण वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02.08.2023 अथवा नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि को प्रचलित वित्त निर्देश के अध्याधीन होगा।

5. अभ्यार्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

6. अभ्यार्थी का आवेदन पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार

क्रमशः

किये जायेंगे। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अमान्य होंगे। डाक से या अन्य किसी भी कारण से आवेदन में विलम्ब होने की जिम्मेदारी इस संस्था की नहीं होगी, इसके लिये अभ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा (व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे, स्वतः अमान्य होगें)।

7. आवेदन पत्र निम्नलिखित पते पर पंजीकृत / स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें :- चिकित्सा अधीक्षक कुमार साहब स्व० श्री दिलीप सिंह जुदेव जी शासकीय सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, विवेकानंद आश्रम के सामने, कोनी, बिलासपुर, 495009, छ०ग०
8. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेज जो कि स्व प्रमाणित किया गया हो एक बंद लिफाफा (ए-4 साईज का लिफाफा) में उपरोक्त पते पर पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित करें। लिफाफे के उपर विज्ञापन क्रमांक एवं जिस पद के लिये आवेदन किया जा रहा है, आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से हिन्दी या अंग्रेजी में लिखा होना आवश्यक है एवं प्रेषित करने वाले आवेदक का नाम एवं सही पता लिखा होना आवश्यक है।
9. विज्ञापन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं (मूल दस्तावेज) पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई दावा आपत्ति मान्य नही किया जावेगा। अभ्यार्थी के अयोग्य पाये जाने पर परीक्षा / चयन के किसी भी स्तर पर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
10. महिलाओं को निम्नानुसार हॉरिजोन्टल आरक्षण दिया जायेगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रिणित नही किये जायेंगें वरण उसी प्रवर्ग के पुरूष के उम्मीदवार के द्वारा भरे जा सकेंगें जिस प्रवर्ग के लिये आरक्षित हैं।
11. उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ लेने के लिये चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडावर्ग के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ का मूल निवासी होना तथा सक्षम प्राधिकारी के जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. अभ्यार्थी का संबंधित पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग काउंसिल/राज्य पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
13. जन्मतिथि की सत्यतता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अधका कक्षा आठवीं/हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. ऐसे अभ्यार्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं उनके अपने नियोक्ता /विभाग प्रमुख के द्वारा जारी किया अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है।
16. अभ्यार्थी विज्ञापन का प्रारूप फार्म एवं विज्ञापन से संबंधित जानकारी कार्यालय के वेबसाईट www.cimsbilaspur.ac.in पर अवलोकन कर सकते हैं।
17. लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र कार्यालय अधिष्ठाता, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर, छ०ग० होगा।
18. लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा की तिथि, दिनांक व समय निर्धारण कर सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, बिलासपुर एवं छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर की नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट पर प्रसारित किया जायेगा। इस संबंध में आपके द्वारा प्रदाय किये गये मोबाईल नंबर पर सूचना दी जायेगी अथवा जनसंपर्क कार्यालय द्वारा शासकीय सूचना माध्यम से सूचित किया जायेगा।

3. चयन प्रक्रियाः-

1. उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षण संस्थान द्वारा आयोजित की जायेगी। तदोपरांत जारी प्रावीण्यता सूची के आधार पर चयन की प्रक्रिया संस्था द्वारा की जावेगी।
2. चयनित होने पर उपस्थिति के समय सबंधित पद के लिये वांछित शैक्षिणिक अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरियता तय की जायेगी अर्थात जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, उसे प्राथमिकता दी जायेगी।
4. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संस्था प्रमुख का होगा।
5. चयनित उम्मीद्वार को अपने स्वास्थ्य की उपयुक्तता के संबंध में संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक छ०ग० आयुर्विज्ञान संस्थान, सिम्स चिकित्सालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
6. अनुशासन एवं नियंत्रण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अध्याधीन होंगे तथा नियुक्त कर्मचारी नियोक्ता के नियंत्रण में ही कार्य करेगें।
7. चयन प्रकिया के संबंध में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

4. नियुक्ति हेतु चयन विधिः-

लिखित परीक्षा बहुविकल्प आधार पर आयोजित की जायेगी। सभी पदों हेतु लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा का विवरण निम्नानुसार हैः

कुल अंक- 100,

1. अर्हकारी विषय से प्रश्न 25 प्रश्न, 50 अंक (प्रत्येक सही उत्तर पर 02 अंक)
2. कौशल परीक्षण अंक 20 अंक

(कौशल परीक्षण के लिये पात्र अभ्यार्थी को अपने समस्त मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।)

3. अनुभव के अंक 30 अंक
अनुभव के अंक-विज्ञापित पदों के चयन हेतु शासन से मान्यता प्राप्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय / चिकित्सालय / सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल या अन्य न्यूनतम 150 बेड कार्पोरेट अस्पताल में किया गया कार्य अनुभव जो नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो का ही कार्य अनुभव मान्य किया जावेगा। जिसके लिये प्रतिवर्ष के मान से 03 अंक (अधिकतम 10 वर्ष) तथा प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना के अंक दिये जायेंगे।

चिकित्सा अधीक्षक
कुमार साहब स्व० श्री दिलीप सिंह जुदेव जी
शासकीय सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल,
कोनी, बिलासपुर, छ०ग०

संविदा भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम :------------
संवर्ग का नामः-----------------

सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साईज स्वप्रमाणित फोटो चस्पा करें

प्रति,

चिकित्सा अधीक्षक
कुमार साहब स्व०श्री दिलीप सिंह जुदेव जी
शासकीय सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल,
विवेकानंद आश्रम के सामने, कोनी
बिलासपुर, छ0ग0 495009

विषयः-विज्ञापन क्रमांक......................दिनांक...................... द्वारा विज्ञापित पदों में संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में)..
(अंग्रेजी के केपिटल लेटर में) [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में)..
(अंग्रेजी के केपिटल लेटर में) [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
3. जन्म तिथि (अंको में) :-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(शब्दों में) :-..
(प्रमाण हेतु हाई-स्कूल प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
4. आयु (आवेदन करने की तिथि तक) :- वर्ष..........माह............दिन..........
5. स्थायी पता :..
:..
:..
:..
6. पत्राचार का पता/पिन नं. सहित :..
:..
:..
मोबाईल नं...
7. जाति प्रवर्ग कृपया सही (v) का निशान लगाये :-
अ.ज.जा [ ] अ.जा [ ] अ.पि.व [ ] सामान्य [ ]
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
8. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है? हाँ/नहीं :..
(छ०ग० मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क्रमशः

(पृष्ठ 7 का शेष)

9. क्या आप दिव्यांग श्रेणी से है? यदि हाँ तो दिव्यांगता का प्रकार श्रेणीः.........................
(जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
10. क्या आप भूतपूर्व सैनिक है? हाँ / नहीं :-...
(प्रमाणित पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
11. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताः वांछित शैक्षणिक योग्यता का ही विवरण भरा जाये। शैक्षणिक योग्यता की जानकारी गलत/अधूरा भरा जाने पर आवेदन निरस्त किया जावेगा।

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1							
2							
3							
4							
5							
6							

12. राज्य पैरामेडिकल कांउसिल का जीवित पंजीयन क्रमांक..............दिनांक...................
13. क्या आवेदित पद हेतु अनुभव रखते है :- हॉ/नहीं..........................
यदि हाँ, तो उल्लेखित करें-

क्र.	संस्थान का नाम	धारित पद	दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	कार्य की प्रकृति
1						
2						
3						
4						
5						
6						

(नियोक्ता द्वारा जारी जावक क्रमांक सहित जारी अनुभव प्रमाण, अनापत्ति प्रमाण की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

आवेदक द्वारा आवेदन में पांचवी की अंकसूची/आठवीं अंकसूची/दसवी अंकसूची / बारहवीं अंकसूची / जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र / स्थायी जाति प्रमाण पत्र/छ०ग० निवास प्रमाण पत्र/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो / दिव्यांग प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र जिस पद पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न करते हुए नीचे विवरण दे :-

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित किया गया)

1...
2...
3...
4...
5...

दिनांक............... **आवेदक का नाम............**
स्थानः.......... **हस्ताक्षर........................**

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में बिन्दु क्रमांक 01 से 18 तक दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है, किसी भी प्रकार की गलत/अपूर्ण जानकारी के कारण मुझे चयन प्रक्रिया से निष्काशित किया जा सकता है एवं मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। मैंने यह आवेदन सम्पूर्ण विज्ञापन को पढ़कर एवं समझकर भरा है। विज्ञापन में दिये गये नियमों के अनुसार निर्धारित पद पर आवेदन की पात्रता है, जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।

दिनांकः....
स्थानः......

आवेदक का नाम................
हस्ताक्षर..........................

आर.ओ.105/जी-252602513.4

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तखतपुर
जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

Email id:- principalgimptakhatpur@gmail.com
College Website: www.govtjmpcollegetkp.ac.in

क्र.232/स्था/2025 तखतपुर दिनांक 05/08/2025

अतिथि क्रीड़ा अधिकारी/अतिथि क्रीड़ा सहायक हेतु विज्ञापन

शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तखतपुर, जिला-बिलासपुर के क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पद (01) के विरूद्ध खेल-कूद व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि क्रीडा अधिकारी/अतिथि क्रीड़ा सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 28/08/2025 को सायं 05:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (संबंधित महाविद्यालय के कार्यालय से पावती प्राप्त करे) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नहीं किया जायेगा। चयन प्रक्रिया अतिथि व्याख्याता नीति-2024 के अनुसार किया जायेगा।

नोटः- विस्तृत विज्ञापन संस्था के नोटिस बोर्ड / महाविद्यालय की वेबसाईट www.govtimpcollegetkp.ac.in में अपलोड किया गया है। जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्राचार्य
शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय
तखतपुर जिला- बिलासपुर(छ.ग.)

आर.ओ.106/जी-252602630/4

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर

व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) - 492002
Phone No.- 0771-2972780 Website- https://vyapameg.cgstate.gov.in

क्रमांक / व्यापम / परीक्षा/एफ-20/2025/2155 रायपुर, दिनांक 05/08/25

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग पदों की लिखित भर्ती परीक्षा (PHQC25) के ऑनलाइन आवेदन के सम्बंध में विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा अवर सचिव, छ.ग. शासन, गृह (पुलिस) विभाग का क्रमांक 883/ 306 / 2024 / रापुसे / गृह-दो नया रायपुर, दिनांक 28.02.2024, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.) पत्र क्र. पुमु/राय/ए-15 (नामांकन भर्ती) /एम-3164/2024/दिनांक 07.10.2024. पत्र क्र. पुमु/राय/3/ए-15 (नामांकन भर्ती) / एम-1467/2025/दिनांक 02.05.2025, पत्र क्र. पुमु/राय/3/ए-15 (नामांकन भर्ती)/एम-1819/2025/दिनांक 02.05.2025, पत्र क्र.-पुमु/राय/3/ए-15 (नामांकन भर्ती) /एम-2767/2025/दिनांक 04.08.2025 द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों हेतु लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु संभावित परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल में निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे-

1	व्यापम वेबसाइट पर पंजीयन उपरांत ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की प्रारंभिक तिथि	-	05-08-2025 (मंगलवार)
2	व्यापम वेबसाइट पर पंजीयन उपरांत ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि	-	27-08-2025 (बुधवार) सायं 5:00 बजे तक
3	परीक्षा की तिथि	-	14-09-2025 (रविवार)
4	परीक्षा का समय	-	पूर्वान्ह (02 घंटे)
5	प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि	-	08-09-2025 (सोमवार)
6	परीक्षा केन्द्र :	-	05 संभागीय मुख्यालयों में

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जावेगा। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जावेगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जावेगा, जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है।

विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।

नियंत्रक
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
रायपुर

कार्यालय प्राचार्य श्री नारायण प्रसाद अवस्थी
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर
जी.ई. रोड रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492010

Web site-www.gacraipurcg.in E-mail-ayurvediccollege@gmail.com

Tel./Fax No.:-0771-2263396

क्रमांक/स्था./2025/7603 रायपुर, दिनांक 06.08.2025

-:: दावा आपत्ति ::-

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) द्वारा योग सहायक (संविदा) के रिक्त पद की पूर्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 26.05.2025 के तारतम्य में अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों की शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य सुसंगत जानकारी के संबंध में आवेदन पत्रों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा जांच की गई है। आवेदन पत्रों की जांच के दौरान जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मान्य / अमान्य किये गये हैं, उनकी सूची महाविद्यालय की वेबसाईट www.gacraipurcg.in में अपलोड की गयी है तथा इस कार्यालय के सूचना पटल पर भी चस्पा किया गया है जिसका अवलोकन किया जा सकता है, तत्सम्बन्ध में जिस आवेदक अथवा व्यक्ति को आपत्ति हो वह अपनी आपत्ति दिनांक 20.08.2025 संध्या 05:00 बजे तक कार्यालय प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तुत कर सकते है। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति मान्य नही किये जायेंगे।

टीप :- उक्त सूची में टंकण/अंकण संबंधी त्रुटि होने पर प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर के कार्यालय में रखी सूची की मूल प्रति ही मान्य होगी।

प्राचार्य
श्री नारायण प्रसाद अवस्थी
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

आर.ओ.110/जी-252602674/5

कार्यालय अधिष्ठाता
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ०ग०)

(दूरभाष क्र. 07762-220742 वेबसाईट www.gmcraigarh.edu.in
ई-मेल gmeraigarh.2013@gmail.com)

क्रमांक / शा.चि.म./स्था./2025/7094 रायगढ़, दिनांक 05/08/2025

//Walk-in-Interview //

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ०ग०) के प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं सीनियर रेसीडेंट रिक्त पद के साथ समय-समय पर रिक्त होने वाले पदों पर छ०ग० सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में उल्लेखित शर्तों के अधीन संविदा भर्ती किया जाना है, इस हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ०ग०) में विज्ञापन प्रकाशन तिथि से प्रत्येक कार्य दिवस में वाक-इन-इन्टरव्यू आयोजित है।

वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है:-

1. **प्राध्यापक-14** (फिजियोलॉजी-1, फार्माकोलॉजी-1, माइक्रोबायोलॉजी-1, एफ.एम.टी.-1. मेडिसीन-1, शिशुरोग-1, चर्म एवं रतिजरोग-1, मनोरोग-1. अस्थिरोग-1, नेत्ररोग-1, रेडियोडायग्नोसिस -1, प्रसूति एवं स्त्रीरोग-1, ईमरजेंसी मेडिसीन-1 फिजिकल मेडिसीन एंड रिहेबिलीटेशन-1)
2. **सह प्राध्यापक-09** (एनाटॉमी-1, फिजियोलॉजी-1, बायोकेमेस्ट्री-1, फार्माकोलॉजी-1, माइक्राबायोलॉजी-1, मनोरोग-1, निश्चेतना-2, रेडियोडायग्नोसिस-1)
3. **सहायक प्राध्यापक-23** (एनाटामी-1, फिजियालॉजी-1, बायाकेमेस्ट्री-2, पैथोलॉजी-2, माइक्रोबायोलॉजी-1, पी.एस.एम.-4, मेडिसीन-1, मनोरोग-1, टी.बी. एण्ड चेस्ट-1, अस्थिरोग-2. स्त्री एवं प्रसूतिरोग-1, निश्चेतना 2. रेडियोडायग्नोसिस-1, दंत्तरोग-1, ईमरजेंसी मेडिसीन-1, फिजिकल मेडिसीन एण्ड रिहेबिलीटेशन-1)
4. **सीनियर रेसीडेंट-27** (मेडिसीन-3. शिशुरोग-1, चर्म एवं रतिजरोग-1, मनोरोग-1, टीबी चेस्ट-1, सर्जरी-3, अस्थिरोग-1. ई. एन. टी-1, प्रसूतिएवंस्त्रीरोग-2. निश्चेतना-1. रेडियोडायग्नोसिस-1, ईमरजेंसी मेडिसीन-9. फिजिकल मेडिसीन एण्ड रिहेबिलीटेशन-2) वॉक-इन-इन्टरव्यू के संबंध में विस्तृत जानकारी, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ०ग०) की वेबसाईट www.gmcraigarh.edu.in एवं चिकित्सा महाविद्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है।

अधिष्ठाता
स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति,
चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

आर.ओ.111/जी-252602671/5

कार्यालय अस्पताल अधीक्षक
दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र
डी. के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)

(पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर से सम्बद्ध)

क्र 4192/एकेडमिक/ डी.के.एस./2025 रायपुर दिनांक 05/08/2025

प्रवेश सूचना सत्र 2025-2026

छत्तीसगढ़ शासन एवं पं दीनदयाल उपाय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.) मान्यता प्राप्त 2 $^{1/2}$ वर्षीय एम.एस.सी. रीनल साईस एवं डायलिसीस टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम सत्र 2025-2026 एवं 2$^{1/2}$ वर्षीय बी.एस.सी. डायलिसीस टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम सत्र 2025-2026 दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र डी.के.एस.भवन रायपुर (छ.ग.) में संचालित है। सत्र 2025-2026 में बी.एस.सी. डायलिसिस टेक्नोलॉजी की कुल सीटें 10 तथा एम.एस.सी रीनल साईंस एवं डायलिसिस टेक्नोलॉजी का कुल सीटें 10 है। ऑनलाईन आवेदन फार्म महाविद्यालय के वेबसाइट www.dkspgi में उपलब्ध है। फार्म का प्रिंटआउट निकालकर उसे भरकर समस्त दस्तावेजो का pdf बनाकर विभागीय Email-dksacademic@gmail.com के माध्यम से दिनांक-11/08/2025 समय 10:30 AM से दिनांक-10/09/2025 समय 5:30 PM बजे तक ऑनलाईन किया जाना है। जिसमे आवेदन फार्म का शुल्क 500/- रुपयें निर्धारित किया गया है। जिसको बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक खाता क्रमांक 09182191025121 खाता का नाम DIALYSIS TECHNOLOGY (B.S.C. & M.S.C. COURSE) आई.एफ.एस.सी. कोड PUNB0091810 में आर.टी.जी.एस. एवं एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से भुगतान किया जाना है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगें। ऑनलाईन आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी तथा त्रुटि होने पर काउसिंलिग में शामिल नहीं किया जावेगा।

1- एम.एस.सी. रीनल साईंस एवं डायलिसीस टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम
योग्यता :- बी.एल.सी-डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बी.एस.सी.- नर्सिंग, एम.टी.बी.एस., बी.पी.टी., बी.डी.एस. शिक्षण शुल्कः-45,000 रु

2- बी.एस.सी. डायलिसीस टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम
योग्यता :- हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट (फिजिक्स, केमेस्ट्री एवं बायोलॉजी)
शिक्षण शुल्क-35.000 रु

नोटः- इस पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त जानकारी महाविद्यालय के वेबसाइट www.dkspgi में भी उपलब्ध है इसका अध्ययन कर आवेदन करे।

अस्पताल अधीक्षक एवं एकेडमिक इंचार्ज
डी.के.एस. पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्युट एव रिसर्च सेन्टर
रायपुर (छ.ग.)

आर.ओ.112/जी-252602642/3

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

दूरभाष (का.) 0771-2439564, 0771-2331204 वेबसाईटः www.psc.cg.gov.in

क्रमांक/ 824/13/परीक्षा/2024 नवा रायपुर, दिनांक 18/07/2025

व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) प्रारंभिक परीक्षा-2024 की लिखित परीक्षा की समय-सारिणी

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के WP (S) no. 608/2025 Ms. Vinita Yadav Vs. State of Chhattisgarh &Ors Date 27/05/2025 के आलोक में एवं छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 2782/2025/21-ब/छ.ग./25 दिनांक 01/07/2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, विज्ञापन दिनांक 23/12/2024 को प्रभावी/लागू छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2006 के अनुसार व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा 2024 की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 04/2024/परीक्षा/दिनांक 23/12/2024 के तहत् व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) प्रारंभिक परीक्षा-2024 की लिखित परीक्षा दिनांक 21 सितंबर 2025 (रविवार) को जिला-बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई एवं रायपुर (छ.ग.) के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसकी समय-सारिणी निम्नानुसार है:-

DATE	DAY	TIME
21.09.2025	SUNDAY	10:00 AM To 12:00 PM

उक्त परीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के 10 दिवस पूर्व जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र व्यक्तिशः नहीं भेजा जाएगा।

परीक्षा नियंत्रक,
छ०ग० लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

राज्य बाल संरक्षण समिति, छत्तीसगढ़

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक 01, तृतीय तल, अटल नगर, रायपुर (छ०ग०)
दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188 (Fax) email: dirwcd@nic.in

क्रमांक/5172/63जी/मबावि/एससीपीएस/2025-26 रायपुर, दिनांक 30/07/2025

किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा बालक कल्याण समितियों में रिक्तियों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन कर समिति का गठन/पुर्नगठन किया जाना है। इस हेतु निर्धारित अर्हताओं/अनर्हताओं के प्रकाश में पात्र आवेदकों से दिनांक 22/08/2025 तक आवेदन आमंत्रित हैं।

1. बालक कल्याण समिति के लिए अध्यक्ष तथा सदस्यों का विवरण-

क्र	रिक्त संख्या			मानदेय
	जिले का नाम	अध्यक्ष	सदस्य	2000/- प्रति बैठक/शासन द्वारा निर्धारित मानदेय
1	मोहला-मानपुर-अं. चौकी	-	रिक्त-01	
2	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	-	रिक्त-01	
3	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	-	रिक्त-04 (01 महिला)	
4	सक्ति	-	रिक्त-02	
5	सुकमा	-	रिक्त-02	
	कुल योगः-	-	11	

2. किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक कार्यकताओं का विवरण :-

क्र.	रिक्त संख्या		मानदेय
	जिले का नाम	सामाजिक कार्यकर्ता	2000/- प्रति बैठक/शासन द्वारा निर्धारित मानदेय
1	कांकेर	रिक्त-01	
2	गौरेला - पेण्ड्रा-मरवाही	रिक्त-01(महिला)	
3	खैरागढ़-छुईखदान गडई	रिक्त-01	
	कुल योगः-	03	

1. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाइट www.cgstate.gov.in एवं www.cgwcd.gov.in पर देखी जा सकती है।
2. प्रत्येक पद के लिए पृथक् पृथक् आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
3. आवेदन प्रेषित करने का पताः- संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) 492002 ।
4. आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।
5. आवेदक का आवेदन दिनांक 22/08/2025 को सायं 5:30 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। वांछित योग्यता ना रखने वाले उम्मीद्वार कृपया आवेदन ना करें।

1. किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता के लिए अर्हताएं/अनर्हताएं

पदनाम	अर्हताएं	अनर्हताएं
किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक कार्यकर्ता	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 4 (3) तथा आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 4(3) अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष होगी और पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं होगी और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्ष का अनुभव होगा या वे बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्ययसायरत् वृत्तिक होना चाहिए।	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 4 (4) अनुसार कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा यदि - 1. उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकार्ड है। 2. उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नही गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नही की गई है। 3. उसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है। 4. वह कभी बालक दुर्व्यवहार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।

2. बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष / सदस्य के लिए अर्हताएं / अनर्हताएं

पदनाम	अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए अर्हताएं	अनर्हताएं
बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 27 (4) तथा आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 15 (3) अनुसार - अध्यक्ष और सदस्य पैंतीस वर्ष से अधिक आयु के होंगे किंतु पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के नहीं होंगे और उनके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री होगी और जिनके पास बालको से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में सात वर्ष का अनुभव हो या जो बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास या दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री के साथ व्यवसायरत वृत्तिक हो।	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 27 (4) क) तथा आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 15 (4 ख) (4 ग) अनुसार कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा यदि - 1. उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के अतिक्रमण का भूतपूर्व रिकार्ड है। 2. ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, दोषसिद्ध किया गया है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध के संबंध में पूर्ण माफी प्रदान नहीं की गई है। 3. भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या द्वारा नियंत्रित किसी उपक्रम अथवा निगम की सेवा से हटाया गया या पदच्युत किया गया है। 4. बालक दुरूपयोग या बालक श्रम के नियोजन या अनैतिक कृत्य या मानव अधिकारों के किसी अन्य अतिक्रमण अथवा अनैतिक कृत्यों में कभी लिप्त रहा है; या 5. जिले में बालक देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग है। 6. विदेश से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से जुड़ा हो। 7. किसी गैर-सरकारी संगठन या किसी संगठन, जो ऐसे कृत्यों का निष्पादन करता हो जिनमें समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हितों का टकराव होता हो, उसमें अधिनियम को लागू करने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। इसमें समिति के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर निम्नलिखित स्थितियों में से कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैः (क) परिवार का कोई भी सदस्य जो किसी गैर-सरकारी संगठन का सदस्य है। (ख)घनिष्ठ संबंध किसी गैर-सरकारी संगठन का सदस्य है। (ग) गैर-सरकारी संगठनों या जिले में बचाव और पुनर्वास के लिए काम कर रहे व्यक्तियों के मामले। (घ) बाल देखरेख संस्थान चलाने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति या किसी गैर-सरकारी संगठन के बोर्ड या ट्रस्ट का सदस्य।

3. नियम व शर्ते (बालक कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड दोनों के लिए)

5.1 आवेदक की आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2025 से की जायेगी।

5.2 बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो की अवधि के लिये होगा, कार्यकाल शेष रहने की स्थिति में भी 65 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही सामाजिक कार्यकर्ता (किशोर न्याय बोर्ड) एवं अध्यक्ष / सदस्य (बालक कल्याण समिति) स्वमेव अपने पद से पृथक होंगे।

5.3 बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता का चयन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 87 के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

5.4 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 4(4) अनुसार- बोर्ड के लिए इस प्रकार चयनित दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, यथासंभव दो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से होने चाहिए।

5.5 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 5 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल-

(1) बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नही होगा।

(2) बोर्ड का सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों के लिए पात्र होगा।

(3) सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास की लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकते है।

(4) बोर्ड में किसी भी रिक्ति को चयन समिति द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल से किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।

(5) यदि बोर्ड के किसी सदस्य के विरूद्ध कोई शिकायत की जाती है तो राज्य सरकार,

क्रमशः

न्यायिक अधिकारियों की बाबत के सिवाय मामलों में आवश्यक जांच कराएगी; न्यायिक अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों को कार्यवाही हेतु उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास भेज दी जाएगी।

(6) राज्य सरकार दो मास की अवधि के भीतर जांच पूरा करेगी और एक मास के भीतर समुचित कार्यवाही करेगी।

(7) यदि संबंधित सदस्य के विरूद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज होता है तो यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार जांच करने और मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात या जो उपयुक्त समझे उत्तनी अवधि के लिए लंबित जांच के लिए सदस्य को तत्काल निलंबित कर सकेगी।

5.6 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 15 (4) के अनुसार बालक कल्याण समिति का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नही होंगे, परंतु इस उपनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने वाले सदस्य के मामले में वर्जित नहीं होगी।

- नियम (4क) अनुसार समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को फार्म 49 के अनुसार शपथपत्र जमा करना होगा जिसमें अधिनियम की धारा 27 की उपधारा 4 क में अधिकथित किसी भी शर्त से आवेदक को वर्जित न किया गया हो। समुचित सरकार मानदंड के अनुसार उसका सत्यापन करेगी।
- नियम (4ख) अनुसार विदेश से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से जुड़ा व्यक्ति समिति के अध्यक्ष या सदस्य पद के लिए पात्र नहीं होगा।
- नियम (4ग) किसी गैर-सरकारी संगठन या किसी संगठन, जो ऐसे कृत्यों का निष्पादन करता हो जिनमें समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हितों का टकराव होता हो, उसमें अधिनियम को लागू करने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण:- शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि, इसमें समिति के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर निम्नलिखित स्थितियों में से कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैः

(क) परिवार का कोई भी सदस्य जो किसी गैर सरकारी संगठन का सदस्य है।

(ख) घनिष्ठ संबंध किसी गैर-सरकारी संगठन का सदस्य है।

(ग) गैर-सरकारी संगठनों या जिले में बचाव और पुनर्वास के लिए काम कर रहे व्यक्तियों के मामले।

(घ) बाल देखरेख संस्थान चलाने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति या किसी गैर-सरकारी संगठन के बोर्ड या ट्रस्ट का सदस्य।

- नियम (4घ) अनुसार यदि समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकार आवश्यक जांच करेगी और दो माह की अवधि के भीतर जांच को पूरा करेगी और राज्य सरकार जांच के पूरा होने के एक माह के भीतर उचित कार्यवाही करेगी।
- नियम (4ङ.) अनुसार राज्य सरकार द्वारा जांच किए बिना समिति के किसी अध्यक्ष या सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को मामले में उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है।
- नियम (4च) अनुसार यदि संबंधित अध्यक्ष या सदस्य के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है, यदि आवश्यक हो तो सरकार संबंधित अध्यक्ष या सदस्य को तत्काल बिना जांच के लंबित करते हुए, उचित अवधि के लिए, या जांच करने के पश्चात् और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निलंबित कर सकती है।

5.7 अधिनियम की धारा 4(7) के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड के किसी सदस्य की, प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय, नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात समाप्त किया जा सकता है, यदि वह सदस्य-

(1) इस अधिनियम के अधीन निहित की गई शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है, या

(2) बोर्ड की कार्यवाहियों में बिना किसी विधिमान्य कारण के लगातार तीन मास तक भाग लेने में असफल रहता है; या

(3) किसी वर्ष में न्यूनतम तीन-चौथाई बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है, या

(4) सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान उपधारा (4) के अधीन अपात्र हो जाता है।

5.8 अधिनियम की धारा 27 (7) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बाल कल्याण समिति क किसी सदस्य की नियुक्ति, जांच किये जाने के पश्चात् समाप्त की जायेगी, यदि

(1) वह इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया हो;

(2) वह किसी ऐसे अपराध के सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत् उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नही की गई है;

(3) वह किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष में न्यूनतम तीन-चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।

5.9 बालक कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड में चयन होने उपरांत प्रशिक्षण में नामांकित किये जाने पर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5.10 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 15 (6) के अनुसार बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास का लिखित नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकते है।

5.11 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 88 (4) के अनुसार-

चयन समिति योग्यता, बालको के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी।

5.12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 88(5) अनुसार चयन समिति द्वारा चयनित सदस्य

(i) ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और ध्यान देने की अनुमति न देता होः

(ii) बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा न हो;

(iii) अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न हो;

(iv) दिवालिया न हो।

5.13 बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य एवं किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों को आवेदन पत्र की कंडिका 18.5 अनुसार शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

5.14 सदस्यों को बोर्ड / समिति सप्ताह के सभी कार्य दिवस में अथवा निर्धारित दिवस में आहूत बैठक में कम से कम छः घण्टे प्रति बैठक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।

5.15 सदस्यों की वर्ष में कम से कम तीन चौथाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।

5.16 प्रत्येक बैठक के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रूपये 2000/- या शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रत्येक सदस्य को देय होगा।

5.17 शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य की जायेगी।

5.18 आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं स्व प्रमाणित / सत्यापित अंकसूची संलग्न होना चाहिए।

5.19 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को नियोक्ता / प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

5.20 शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत नियमित कर्मचारी आवेदन हेतु अपात्र होंगे परन्तु ऐसे शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता अथवा सामाजिक कार्यकर्ता आवेदन कर सकते हैं, जो बैठकों के लिए पर्याप्त समय दे सकते हों।

5.21 बोर्ड / समिति के रिक्त पद पर संबंधित जिले के स्थानीय निवासी को चयन में प्राथमिकता दी जावेगी।

5.22 निर्धारित संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक जिले के लिए प्रतीक्षा सूची का पैनल बनाया जायेगा।

5.23 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीद्वारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।

4. चयन संबंधी समस्त जानकारी समय समय पर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अद्यतन जानकारी के लिए www.cgstate.gov.in अथवा www.cgwcd.gov.in का अवलोकन करते रहें। उपरोक्त विज्ञापन में कोई लिपिकीय त्रुटि की स्थिति में सुधार संभव होगा।

5. आवेदन प्रेषित करने का पता संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) पिन कोड 492002

6. आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रूपये का डाक टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें।

7. आवेदक का आवेदन दिनांक 22/08/2025 को सायं 5:30 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

8. प्राप्त आवेदनों के संबंध में गठित समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

9. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाइट www.cgstate.gov.in अथवा www.cgwcd.gov.in पर देखी जा सकती है।

10. सभी पदों के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।

(पदुम सिंह एल्मा)
संचालक
महिला एवं बाल विकास विभाग
एवं सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

क्रमशः

अध्यक्ष बालक कल्याण समिति / सदस्य बालक कल्याण समिति/ सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय बोर्ड हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

संचालक,
संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग
ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ. ग.)

आवेदक का स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटों

1. आवेदित पद का नाम :--------------------------------
2. आवेदित पद का जिला :--------------------------------
3. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :--------------------------------
   आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) :--------------------------------
4. पिता/पति का नाम :--------------------------------
5. स्थायी पता :--------------------------------
   :--------------------------------
   :--------------------------------
6. पत्र व्यवहार का पता :--------------------------------
   :--------------------------------
   :--------------------------------
   :--------------------------------
   :--------------------------------
   दूरभाष / मोबाईल ....ईमेल............................
7. निवास प्रमाण पत्र के आधार पर गृह जिला :--------------------------------
8. जन्मतिथि (अंकों में) :--------------------------------
   (शब्दों में) :--------------------------------
   (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु दस्तावेज संलग्न करें।)
9. आधार नम्बर (छायाप्रति संलग्न की जाये):--------------------------------
10. दिनांक 01/01/2025 को आयु :--------------------------------
11. लिंग-पुरुष / महिला / अन्य :--------------------------------
12. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. / सामान्य) जाति.........वर्ग.......................
13. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है?...........
    यदि हां तो विवरण (संस्था का नाम, पद एवं कार्य का विवरण)
14. आवेदक यदि पूर्व में बालक कल्याण समिति का सम्मानित अध्यक्ष / सदस्य अथवा किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता रहा है/ रही है तो निम्न पदों के विरूद्ध स्पष्ट विवरण देवे। साथ में अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि एक से अधिक कार्यकाल रहा है तो प्रत्येक कार्यकाल का पृथक-पृथक विवरण देवे :-

    अध्यक्ष, बालक कल्याण समिति-कार्य अवधि दिनांक--------से दिनांक--------तक
    सदस्य, बालक कल्याण समिति-कार्य अवधि दिनांक--------से दिनांक--------तक
    सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड- कार्य अवधि दिनांक--------से दिनांक--------तक

15. आवेदक का व्यवसाय --------------------
16. शैक्षणिक योग्यता :-
    (समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित / सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

17. अन्य योग्यता/अनुभव विज्ञापन में चाहे गये अर्हताओं के प्रकाश में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र	कार्यालय/संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण			वेतन	पद छोड़ने का कारण
			कब से	कब तक	अवधि		

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

18. अनिवार्य संलग्नकों की सूची -
    1. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची / जन्म प्रमाण पत्र
    2. 12वीं की अंकसूची
    3. स्नातक की अंकसूची, स्नातकोत्तर की अंकसूची
    4. अनुभव प्रमाण पत्र
    5. आवेदक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित पचास रूपये के नॉन जुडिशियल स्टॅम्प पेपर पर विधि विरूद्ध कार्य में संलग्न न रहने, किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित न किये जाने, किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न होने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा न होने, ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होने जिसके कारण बोर्ड या समिति के कार्य के लिए व्यक्ति आवश्यक समय और ध्यान न दे सके, दिवालिया न होने का शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करे।
    6. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष / सदस्य पद हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों को प्रारूप 49 (नियम 15 (4 क)) में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
    7. आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने का निवास/ मूल प्रमाण पत्र संलग्न करे।
    8. यदि आवेदक पूर्व में अध्यक्ष बालक कल्याण समिति/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड/सदस्य बालक कल्याण समिति रहा है तो स्थान एवं कार्य अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

19. अन्य संलग्नकों का विवरण
    1-------------------------
    2-------------------------

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता अथवा बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष / सदस्य के रूप में की गई नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :---------
दिनांक :-------

प्रारूप 49
(नियम 15 (4क))

समिति के अध्यक्ष या सदस्य के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए शपथ पत्र

मैं-----------------बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मैं यह सत्यापित करता हूँ कि अधिनियम की धारा 27 (4क) में अधिकथित किसी भी शर्त के कारण वर्जित नहीं हूँ।

(1) मेरे ऊपर मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी पिछला रिकार्ड नहीं है।
(2) मुझे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराधों के मामले में पूर्ण क्षमा नहीं दी गई है।
(3) मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार तथा भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उपक्रम से/ सेवा से नहीं हटाया गया है।
(4) मैं कभी भी बाल अपराध या बाल श्रम नियोजन या अनैतिक कार्य या मानव अधिकारों या अनैतिक कार्यों के उल्लंघन में लिप्त नहीं पाया गया हूँ, या
(5) मैं जिले में बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग नहीं हूँ।

2. यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है तो मैं दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

(व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम और अन्य विशिष्टियां

आर.ओ.107/जी-252602567.5

कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गीदम

जिला-दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

Email-Principal.iti.geedam@gmail.com

क्रमांक/औप्रसं/स्था./मे0प्र0भर्ती/2025/ 1123 गीदम दिनांक 04.08.2025

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं.-4, प्रथम तल, अटल नगर, रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशो तथा संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर के आदेश क्रमांक-257 दिनांक 12/03/2024 के अनुपालन में जिला दन्तेवाड़ा में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कुआँकोण्डा में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध व्यवसायों/विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2025-26 के लिये मेहमान प्रवक्ता (Guest Lecturer) हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थिति के माध्यम से कार्यालय प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गीदम जिला दन्तेवाड़ा छ0ग0 494441 में आवेदन जमा/प्रेषित कर सकते है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 18.08.2025 को अपरान्ह 5:00 बजे तक है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

पदों की जानकारी एवं शैक्षणिक तकनीकी योग्यताएँ, निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है :-

1. पदों की जानकारी :-

क्र	व्यवसाय/विषय का नाम	औप्रसं कुआँकोण्डा	कुल पद
1	2	3	4
01	कोपा (कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट)	02	02
कुल योग			02

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र०	व्यवसाय का नाम	संस्था का नाम	पदों की संख्या	वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोगामिंग असिस्टेन्ट (COPA)	शासकीय औप्रसं कुआँकोण्डा	02	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण प्रत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस इंजीनीयरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाथि उत्तीर्ण अथवा डीओई (DOEACC) से ए स्तर का प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बी.सी.ए/पीजीडीसीए उत्तीर्ण हो। 3. अभ्यर्थी जो डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से एटीआई /सीटीआई उत्तीर्ण हो को चयन में प्राथमिकता दिया जायेगा।

3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :-

(क) सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (परीक्षा) की अंकसूची के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

(ख) सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।

(ग) आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/उपाधी/पत्रोपाधी आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी।

(घ) मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरान्त यदि वह निर्धारित की गई अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता हैं तो उसका चयन निरस्त माना जा कर प्रतीक्षा सूची के अगले आवेदक को नियमानसार अवसर दिया जावेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदको को अवसर दिया जावेगा।

नियम एवं शर्तें

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें जो कि कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम जिला-दन्तेवाड़ा (छ.ग.) से प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों का भली-भाँति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।
3. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
4. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आई.टी.आई./ डिप्लोमा/डिग्री) प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेगा। सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
5. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
6. शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
8. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
9. पृथक-पृथक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।
10. संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रतिघंटा 140/- (एक सौ चालीस रूपये) की दर से प्रति कार्यदिवस अधिकतम पांच घंटे का मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम 15,000/- रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) मानदेय देय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। मेहमान प्रवक्ता को माह के कार्यदिवसों में एक दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
11. मेहमान प्रवक्ताओं हेतु शासन द्वारा निर्धारित मद में बजट उपलब्ध होने पर ही मानदेय भुगतान किया जावेगा।
12. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होगें। शासकीय अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
13. पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय/विषय के लिये तैयार की गई अनुमोदित सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल अधिकारी निर्णय ले सकेंगे यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतिक्षा सूची में उम्मीद्वार उपलब्ध नहीं है तो अन्य जिलों की अनुमोदित सूची से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर / समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
15. आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में दिनांक 18.08.2025 को सायं 5:00 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा

क्रमशः

कार्यालय प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गीदम जिला-दन्तेवाड़ा छ०ग० 494441 में जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर/आवेदन प्रपत्र में संस्था एवं व्यवसाय का नाम उल्लेख करना आवश्यक है।

16. आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01/01/2025 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए वांछित प्रमाण-पत्रों जैसे-शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, तकनीकी योग्यता, एटीआई/सीटीआई एवं निवास प्रमाण-पत्र तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है।

17. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इस संबंध में उम्मीद्वारों को सूचना नहीं दी जायेगी।

18. मेहमान प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन सूचीप्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित की गई अवधि तक मुख्य सूची के उम्मीद्वार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद चयन अनुमोदन सूची के अगले सरल क्रमांक को अवसर दिया जावेगा तथा इसी क्रम से अन्य आवेदकों को अवसर दिया जावेगा।

19. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जायेंगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट उल्लेखित करें। दिये गये मोबाईल नंबर पर संपर्क न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

20. आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र/इंजीनियरिंग में उपाधि इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण-पत्र/अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।

उक्त कार्यवाही द्वारा नियुक्त मेहमान प्रवक्ता माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर केसडब्ल्यू0पी0एस0 4836/2020 के संबंध में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

प्राचार्य नोडल अधिकारी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम
जिला-दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित संस्था का नाम :- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कुआँकोण्डा, जिला-दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
(जिसके लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे है।)
आवेदित पद एवं व्यवसाय/विषय का नाम :- मेहमान प्रवक्ता / कोपा

प्रति,
प्राचार्य/नोडल अधिकारी
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गीदम,
जिला-दन्तेवाड़ा (छ०ग०)

स्वप्रमाणित फोटो

विषय :- मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र ।
महोदय,
मेहमान प्रवक्ता हेतु निम्नांकित विवरणों के साथ आवेदन प्रस्तुत है :-

1. आवेदक का नाम :------------------------------
2. पिता/पति का नाम :------------------------------
3. माता का नाम :------------------------------
4. जाति----------------------वर्ग :------------------------------
5. जन्मतिथि (अंको में) :------------------------------
(शब्दों में) :------------------------------
6. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :------------------------------
7. दूरभाष/मोबाईल नंबर :------------------------------
8. स्थायी निवास का पूर्ण पता :------------------------------
9. सी.टी.आई./ए.टी.आई./ :------------------------------
एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई. आई. टॉट उत्तीर्ण (हाँ/नहीं)

10. **शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता विवरण :-**

टीप :- 1) प्रत्येक संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावें।

क्रमांक	परीक्षा का नाम	मण्डल/बोर्ड/विश्वविद्यालय/आई.टी.आई	विषय/व्यवसाय	श्रेणी	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

2) योग्यता से संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों को स्वयं द्वारा सत्यापित सलंग्न करें।

11. संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची :-

1.---------------2.------------3.----------4.---------------
5.--------------6.----------------7.------------8.--------------

(आवेदक के हस्ताक्षर)

//शपथ-पत्र//

उक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जो कि पूर्णतः सत्य है एवं मैं सहमत हूँ किः-

1. मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ०ग० रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण-पत्र सही है एवं सत्य है, यदि जानकारी अथवा प्रमाण-पत्र गलत पाये जाते है, तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
3. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा करूंगी तथा यह चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकता रहने तक या नियमित/स्थानान्तरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने पर रहेगी, जिस हेतु मैं पूर्णतः सहमत हूँ।
4. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी।
5. मैं एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था/व्यवसाय/विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊंगा/जाऊंगी। दूसरे संस्था व्यवसाय/विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त समझा जावेगा।
6. मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों/निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा / करूंगी।

स्थान----------
दिनांक--------

(आवेदक के हस्ताक्षर)
पूरा नाम--------------------
पत्र व्यवहार का पता-----------
मोबाईल नम्बर---------------

आर.ओ.108/जी-252602614/4

कार्यालय-प्राचार्य
शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नवाडीह चौक सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड - 495555
Website-https://gmlscollege.ac.in, E-mail gmlscseepat@gmail.com,
AISHE CODE. C-22298

क्रमाक /261/स्था./2025 सीपत, दिनांक 06/08/2025

अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीपत, जिला बिलासपुर छ.ग. के प्राध्यापक (रसायन शास्त्र), सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर एप्लीकेशन) एवं क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध अध्यापन/खेल-कूद व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक / क्रीड़ा सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 18/08/2025 को सांय 05:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकतें हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोटः- विस्तृत विज्ञापन संस्था के नोटिस बोर्ड, महाविद्यालय की वेबसाईट https://gmlscollege.ac.in में अपलोड किया गया है। जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्राचार्य
शासकीय एम.एल.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

आर.ओ.109/जी-252602649.5

अंतरराष्ट्रीय

127 साल बाद भारत लौटे भगवान बुद्ध के पुरातात्विक अवशेष

पिपरहवा के उत्खनन में प्राप्त भगवान बुद्ध के पुरातात्विक अवशेष 127 वर्ष बाद ब्रिटेन से भारत वापस लाए गए हैं। वर्ष 1898 में ये अवशेष अंग्रेजों द्वारा ब्रिटेन ले जाए गए थे। पिपरहवा (कपिलवस्तु) भगवान बुद्ध की क्रीड़ास्थली मानी जाती है। यह स्थान जिले के मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर तथा भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी (नेपाल) से केवल 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्ष 1898 में बर्डपुर के तत्कालीन जमींदार विलियम क्लैक्सटन पेप्पे द्वारा पिपरहवा स्थित मुख्य स्तूप का उत्खनन किया गया था। इस उत्खनन में एक विशाल पत्थर का पात्र प्राप्त हुआ था, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष, क्रिस्टल और सोपस्टोन की बनी पवित्र कलशियां, तथा रत्नों और आभूषणों से भरे चढ़ावे पाए गए थे।

संदीप आर्य भूटान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त

वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी संदीप आर्य को भूटान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे सुधाकर दलेला का स्थान लेंगे। 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी आर्य वर्तमान में वियतनाम में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।

भारत, फिलीपींस ने साझा किया नौसैनिक अभ्यास

भारत और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौवहन और नौसैनिक अभ्यास किया है। दोनों देशों का इस विवादित जलक्षेत्र में यह पहला साझा अभ्यास है। इस क्षेत्र में चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन के भारत और फिलीपींस, दोनों देशों के साथ दशकों पुराने क्षेत्रीय विवाद भी हैं। इस मामले में अभी तक चीन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

चीन में एआई रोबोट करेगा पीएचडी, कॉलेज ने जारी किया आईडी कार्ड

अब चीन में ह्यूमनॉइड एआई रोबोट पीएचडी करेगा। यह रोबोट जुएबा, देखने में इंसान जैसा लगता है। पढ़ाई के लिए इसे छात्र पहचान पत्र भी जारी किया गया है और यह अन्य छात्रों के साथ बैठकर कक्षाएं अटेंड करेगा। जुएबा 14 सितंबर को शंघाई थिएटर एकेडमी में दाखिला लेगा। वह पारंपरिक चीनी ओपेरा पर शोध करेगा, और स्टेज परफॉर्मेंस, स्क्रिप्ट लेखन, और सेट डिज़ाइन जैसे विषय भी पढ़ेगा। इस रोबोट को शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। इसकी त्वचा सिलिकॉन से बनी है और इसके चेहरे के हाव-भाव भी इंसानों जैसे हैं। 1.75 मीटर लंबे जुएबा का वजन 30 किलोग्राम है। यह बोल सकता है, और प्रतिक्रिया भी दे सकता है।

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नये निदेशक बने डॉ. ए. राजराजन

1 अगस्त 2025 से अनुभवी वैज्ञानिक और कंपोजिट तकनीक विशेषज्ञ डॉ. ए. राजराजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC), तिरुवनंतपुरम का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। वह डॉ. एस. उन्नीकृष्णन नायर का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हुए। डॉ. राजराजन का इसरो के साथ लगभग चार दशकों का अनुभव रहा है। यह कंपोजिट सामग्रियों के विशेषज्ञ हैं और भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम-एस के सफल प्रक्षेपण में अग्रणी भूमिका निभा चुके हैं। इससे पहले वे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा के निदेशक रह चुके हैं।

गूगलः आंध्र में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, 50 हजार करोड़ का निवेश

गूगल आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। यह सेंटर 1 गीगावॉट क्षमता का होगा। रायटर्स के मुताबिक, गूगल इसमें 50 हजार करोड़ रु. का निवेश करेगी। इसमें से - 16 हजार करोड़ रुपए से रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी फेसिलिटी बनेगी, जो 3 डेटा सेंटर को बिजली सप्लाई करेगी। यह गूगल का भारत में पहला ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होगा। अप्रैल में गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कहा था न कि वह इस साल दुनिया भर में डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ाने के लिए 6.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी।

पेरूः खुदाई में मिला 1,000 साल पुराना मकबरा

पेरू की राजधानी लीमा में यूटिलिटी वर्कर्स को खुदाई के दौरान प्री-इंका युग के दो मकबरे मिले। इनमें से एक मकबरा खाली था, जबकि दूसरे में एक व्यक्ति के करीब 1,000 साल पुराने अवशेष मिले। इस मकबरे से चार मिट्टी के बर्तन और कद्दू की खोल से बने तीन हस्तशिल्प भी बरामद हुए हैं। यह खुदाई गैस वितरण कंपनी 'कालिदा' की ओर से की जा रही थी। इस कंपनी के कर्मचारियों को इससे पहले भी कई बार इस तरह की ऐतिहासिक खोजें मिल चुकी हैं। बताया जाता है कि पिछले दो दशकों में भूमिगत नेटवर्क के विस्तार के दौरान 2,200 से अधिक पुरातात्विक खोजें हो चुकी हैं।

स्रोत : pib, newsonair, ptinews, aninews

अल सल्वाडोर में राष्ट्रपति कार्यकाल 6 साल तक बढ़ा

अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले की पार्टी ने देश की संसद में संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों के तहत राष्ट्रपति पद के लिए अनिश्चितकालीन पुनर्निर्वाचन की अनुमति दी गई है और कार्यकाल की अवधि बढ़ाकर छह वर्ष कर दी गई है। 'न्यू आइडियाज' पार्टी की सांसद एना फिगेरोआ ने संविधान के पांच अनुच्छेदों में बदलाव का प्रस्ताव रखा था, जिसे संसद में पारित कर दिया गया।

औद्योगिक सहयोग पर भारत-रूस कार्य समूह का 11वां सत्र नई दिल्ली में सम्पन्न

नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर भारत-रूस कार्य समूह का 11वां सत्र आयोजित किया गया। यह बैठक व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के ढांचे के अंतर्गत हुई।

खेल / कला

अंडर-17 कुश्तीः रचना और अश्विनी ने जीते स्वर्ण पदक

भारत की जूनियर पहलवानों ने यहां आयोजित अंडर-17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। लड़कियों के 43 किलोग्राम वर्ग में रचना और 65 किलोग्राम वर्ग में अश्विनी विश्नोई ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रचना ने फाइनल में चीन की झिन हुआंग को 3-0 से मात दी। वहीं अश्विनी ने उज्बेकिस्तान की मुखायो को भी 3-0 से पराजित किया। इस बीच, 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में मोनी को कजाखिस्तान की मदाखिया उस्मानोवा के खिलाफ 5-6 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे वह स्वर्ण पदक से चूक गईं।

भारत ने 6 रन से जीता ओवल टेस्ट, सीरीज 2-2 से बराबर

भारत ने लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए अंतिम टेस्ट में इंग्लैंड को 6 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। अंतिम दिन इंग्लैंड को 35 रन और भारत को 4 विकेट की जरूरत थी। मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए तीन विकेट लेकर मैच का पासा पलट दिया। सिराज की घातक स्पेल से भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया। यह जीत भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक क्षणों में दर्ज हो गई है और सिराज का प्रदर्शन लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

कज़ाखिस्तान में श्रीशंकर ने लंबी कूद का खिताब जीता

लंबी कूद के अनुभवी भारतीय खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने कज़ाखिस्तान के अल्माटी में आयोजित कोसानोव मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने इस प्रतियोगिता में लगातार तीसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया। 26 वर्षीय श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर (कांस्य स्तर) की इस श्रेणी 'सी' की मीट में अपने पहले ही प्रयास में 7.94 मीटर की छलांग लगाकर खिताब पक्का कर लिया। अन्य प्रयास 7.73 मीटर, 7.58 मीटर, 7.57 मीटर, 7.80 मीटर और 7.79 मीटर रहे। श्रीशंकर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8.41 मीटर है।

अशोक मिश्र और दीपक को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में छत्तीसगढ़ ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का लोहा मनवाया। बिलासपुर में जन्मे और रायपुर के दुर्गा कॉलेज से पढ़े अशोक मिश्र लिखित फिल्म कटहल को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला। यह फिल्म उनके बेटे यशोवर्धन ने निर्देशित की है। भाटापारा निवासी दीपक किंगरानी को फिल्म एक बंदा काफी है, को दमदार डायलॉग्स के लिए सम्मानित किया गया।

शाहरुख और विक्रांत मैसी को मिला बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार

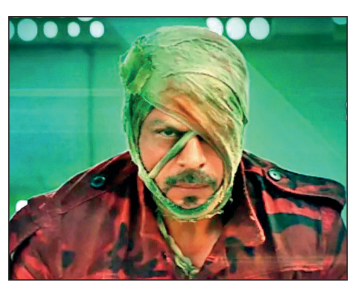

हिंदी फिल्म "द ट्वेंटीथ फेल" ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। नई दिल्ली में पुरस्कारों की घोषणा करते हुए, निर्णायक मंडल (फीचर फिल्म) के अध्यक्ष आशुतोष गोवारिकर ने बताया कि शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने "जवान" और "द ट्वेंटीथ फेल" के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। रानी मुखर्जी को फिल्म "मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे" में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है।

जूरी के अध्यक्ष (गैर-फीचर फिल्म) पी. शेषाद्रि ने बताया कि सौम्यजीत घोष दस्तीदार द्वारा निर्देशित "फ्लावरिंग मैन" को सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। उन्होंने बताया कि पीयूष ठाकुर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला है। श्री शेषाद्रि ने बताया कि "गॉड वल्चर एंड ह्यूमन" को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार मिला है।

हिंदी फिल्म "रॉकी और रानी की प्रेम कहानी" को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि सैम बहादुर को राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार तमिल फिल्म "वाथी" में उनके काम के लिए जीवी प्रकाश कुमार को दिया गया। शिल्पा राव और पीवीएन एस रोहित को हिंदी फिल्म "जवान" और तेलुगु फिल्म "बेबी" के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला। मलयालम फिल्म "पूकलम" को सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार मिला। मराठी फिल्म "नाल 2" को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि "द केरल स्टोरी" ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार जीता। उत्पल दत्ता को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक चुना गया।

सब-जूनियर राष्ट्रीय तैराकी में कर्नाटक चैंपियन

कर्नाटक ने 41वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 104 अंकों के साथ चैंपियन का खिताब जीता। मणिपुर 81 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। मणिपुर के तैराक कोइजाम अथोइबा सिंह को 28 अंकों के साथ सर्वश्रेष्ठ पुरुष तैराक चुना गया। गोवा की पूर्वी रितेश नाईक को 19 अंकों के साथ सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक घोषित किया गया। अथोइबा ने प्रतियोगिता के अंतिम दिन 100 मीटर फ्रीस्टाइल में 58.59 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि लड़कियों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल में पूर्वी ने 1 मिनट 4.40 सेकंड में रेस पूरी कर शीर्ष स्थान हासिल किया।

स्विमिंगः वर्ल्ड चैंपियनशिप में कैटी लेडेकी का रिकॉर्ड 7वां गोल्ड

अमेरिका की कैटी लेडेकी ने वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप के 800 मीटर फ्रीस्टाइल इवेंट में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 8:05.62 मिनट के चैंपियनशिप रिकॉर्ड समय के साथ इस इवेंट में अपना सातवां वर्ल्ड टाइटल जीता। यह किसी भी एक इवेंट में अब तक का सबसे अधिक खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। लेडेकी ने 800 मीटर फ्रीस्टाइल में अपनी 11वीं जीत दर्ज की।

डॉग सर्फिंग चैम्पियनशिप में बने तीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

यूके डॉग सर्फिंग चैम्पियनशिप 2025 इंग्लैंड के बॉर्नमाउथ बे, डोरसेट में आयोजित की गई। इस आयोजन के दौरान डॉग्स के साथ पैडलबोर्डिंग में तीन अलग-अलग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। पहला रिकॉर्ड 50 मीटर (164 फीट) पैडलबोर्ड रेस में बनाया गया। एक अन्य रिकॉर्ड में एक ही पैडलबोर्ड पर 12 डॉग्स को एकसाथ खड़ा करके कीर्तिमान स्थापित किया गया।

छत्तीसगढ़

15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम, तीन चरणों में होगा आयोजन

प्रदेश में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देशभर की तरह ही प्रदेश के नागरिकों को भी अपने-अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह अभियान 'हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव – स्वच्छता के संग' थीम पर आधारित होगा। यह कार्यक्रम तीन चरणों में 2 से 15 अगस्त तक चलेगा। पहला चरण 2 से 8 अगस्त, दूसरा चरण 9 से 12 अगस्त, तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त चलेगा।

बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग को NBA से मान्यता विस्तार

शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बिलासपुर (कोनी) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूजी प्रोग्राम को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) से वर्ष 2028 तक मान्यता का विस्तार मिला है। यह मान्यता शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 2027-28 तक के लिए प्रदान की गई है। पूर्व में इस प्रोग्राम को 2022-23 से 2024-25 तक की मान्यता प्राप्त थी। 21 जून 2025 को NBA विशेषज्ञ दल ने कॉलेज का निरीक्षण कर गुणवत्ता मानकों की पुष्टि की थी।

रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ को मिलेगा नया विधानसभा भवन

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने नवा रायपुर स्थित नवीन विधानसभा भवन का निरीक्षण किया। 52 एकड़ में निर्मित यह भवन सितंबर 2025 तक पूर्ण होगा और राज्योत्सव पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हाथों लोकार्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक भव्यता का प्रतीक बताया। भवन में आधुनिक तकनीकों के साथ 200 विधायकों की क्षमता वाला सदन, 500 दर्शकों का ऑडिटोरियम और भव्य सरोवर भी शामिल हैं। निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

सावन में मुख्यमंत्री ने किया रूद्राभिषेक, कांवड़ यात्रा में हुए शामिल

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र में आयोजित भव्य कांवड़ यात्रा में भाग लिया और हटकेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भगवान शिव का रूद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि सावन मास में शिवभक्तों की आस्था, भक्ति और समर्पण का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। कांवड़ यात्रा हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखने के साथ सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक एकता का संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दीं।

31 लाख परिवारों को मिलेगा हॉफ बिजली बिल का लाभ

राज्य सरकार ने हॉफ बिजली बिल योजना के तहत 100 यूनिट मासिक खपत तक 50% रियायत जारी रखने का निर्णय लिया है। इससे 31 लाख घरेलू उपभोक्ता, जिनमें 15 लाख बीपीएल परिवार शामिल हैं, पूर्ववत लाभान्वित होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत सोलर प्लांट लगाने पर 1.08 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। इससे उपभोक्ता बिजली खर्च से मुक्ति पाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। यह निर्णय आर्थिक राहत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम है।

कौशल तिहार 2025 : युवाओं के भविष्य निर्माण पर दिया जोर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय में कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में युवाओं के प्रशिक्षण को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य केवल प्रशिक्षण नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम कौशल विकास योजना 4.0, पीएम विश्वकर्मा योजना, नियद नेल्ला नार और पीएम जनमन योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में 'कौशल तिहार 2025' की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई।

बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं का नया युग, 130 संस्थानों को मिला गुणवत्ता प्रमाणन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में बस्तर संभाग की स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है। 1 जनवरी 2024 से 16 जून 2025 तक केवल बस्तर संभाग में ही कुल 130 स्वास्थ्य संस्थाओं को NQAS के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जिनमें 1 जिला अस्पताल, 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 113 उप-स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 65 अन्य संस्थाओं का प्रमाणीकरण कार्य प्रक्रियाधीन है। खास बात यह है कि नक्सल प्रभावित जिलों—कांकेर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा—के 14 संस्थानों को भी गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। नियद नेल्लानार योजना से बस्तर संभाग में मात्र एक वर्ष में ही 36,231 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अब तक 52.6 प्रतिशत कवरेज हो चुका है, और 6,816 हितग्राहियों को 8 करोड़ 22 लाख रुपये की चिकित्सा सहायता का लाभ मिल चुका है। सरकार ने पिछले डेढ़ वर्षों में बस्तर संभाग में 33 मेडिकल स्पेशलिस्ट, 117 मेडिकल ऑफिसर और 1 डेंटल सर्जन की नियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर से 75 और जिला स्तर से 307 स्टाफ व प्रबंधकीय पदों पर भर्ती पूरी की गई है, जबकि 291 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है।

स्रोत : https://dprcg.gov.in/

राष्ट्रीय

भारत की पहली AI आंगनबाड़ी नागपुर जिले की वडधामना गांव में खुली

महाराष्ट्र के नागपुर जिले की हिंगना तहसील के वडधामना गांव में AI पावर्ड आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है। यह नागपुर से करीब 18 किलोमीटर दूर है। इस AI आंगनबाड़ी को नागपुर जिला परिषद की 'मिशन बाल भरारी' पहल के तहत शुरू किया गया है। यहां के बच्चे पहले बाकी आंगनबाड़ियों की तरह ही स्लेट और चॉक से पढ़ा करते थे, लेकिन अब डिजिटल क्लासरूम आ चुका है। यहां पर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, AI से लैस स्मार्टबोर्ड, टैबलेट और इंटरैक्टिव डिवाइस से बच्चे पढ़ेंगे, उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी।

रेलवे के 4 प्रोजेक्ट को मंजूरी, छह राज्यों में 574 किमी नेटवर्क बढ़ेगा

केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे मंत्रालय के 4 मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। 11,169 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ये प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 13 जिलों में संचालित होंगे। इनसे रेलवे नेटवर्क 574 किलोमीटर बढ़ेगा और 43.60 लाख की आबादी वाले 2,309 गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इनसे माल ढुलाई क्षमता में सालाना 95.91 मिलियन टन की वृद्धि होगी।

4,543 बच्चों को मिल रहा 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना का लाभ

कोविड-19 वैश्विक महामारी में अपने माता-पिता या अभिभावकों को खोने वाले 31 राज्यों के 4,543 बच्चों को 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के तहत लाभ प्रदान किया जा रहा है। मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के अंतर्गत 9,300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इस योजना का लाभ पाने वाले बच्चों में 2,362 लड़के और 2,181 लड़कियाँ शामिल हैं।

एम्स की आरएसवी, कोविड समेत 12 जांचों को अब राष्ट्रीय मान्यता

रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की वायरोलॉजी लैब को राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं की प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त हो गई है। इससे एम्स की 12 जांचों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्थित इस लैब को वायरल अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला (वीआरडीएल) के नाम से जाना जाता है। एनएबीएल ने इस लैब को कोरोना, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस (आरएसवी) समेत 12 प्रमुख मानव वायरस संक्रमणों की पहचान के लिए मान्यता दी है।

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन

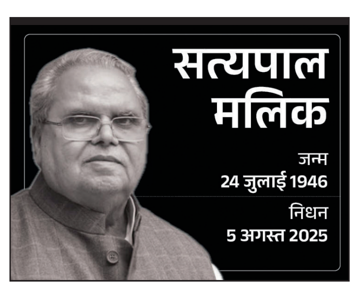

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक (79) का निधन हो गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा हुई थी, तब मलिक वहां के राज्यपाल थे।

कब क्या रहे सत्यपाल मलिक

वर्ष	जिम्मेदारी
1974-77	विधायक, बागपत
1980-84	राज्यसभा सांसद
1986-89	राज्यसभा सांसद
1989-91	सांसद, अलीगढ़
1990	केंद्रीय राज्य मंत्री
2017	राज्यपाल, बिहार
2018	राज्यपाल, ओडिशा (अतिरिक्त प्रभार)
2018	राज्यपाल, जम्मू और कश्मीर
2019	राज्यपाल, गोवा
2020	राज्यपाल, मेघालय

AI युक्त 'दिव्य दृष्टि' अभ्यास से हिमालयी युद्धक्षमता में जबरदस्त उछाल

पूर्वी सिक्किम में भारतीय सेना ने 'दिव्य दृष्टि' अभ्यास के जरिए AI, ड्रोन, सेंसर और हाईटेक कम्यूनिकेशन सिस्टम के साथ अपनी युद्ध तैयारियों का सफल प्रदर्शन किया। इस हाई एल्टिट्यूड अभ्यास में रियल टाइम सर्विलांस, सटीक फायरिंग और तेज निर्णय क्षमता को परखा गया। सेना ने 'सेंसर टू शूटर' की अवधारणा को और मजबूत किया। डिप्टी आर्मी चीफ ले. जनरल राकेश कपूर ने समीक्षा की और इसे भविष्य की लड़ाइयों के लिए मील का पत्थर बताया। चीन और पाकिस्तान सीमा पर चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना हाईटेक युद्ध कौशल में तेजी से आगे बढ़ रही है।

डॉ. मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवा) नियुक्त

रक्षा मंत्रालय ने 1 अगस्त, 2025 को घोषणा की कि डॉ. मयंक शर्मा ने आधिकारिक तौर पर वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवा) का पदभार ग्रहण कर लिया है। भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) के 1989 बैच के एक अनुभवी अधिकारी, डॉ. शर्मा विभिन्न प्रमुख सरकारी विभागों में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध प्रशासनिक और वित्तीय अनुभव लेकर आए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री 'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन का निधन

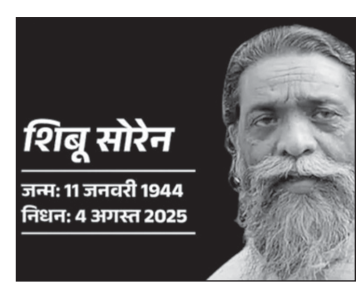

झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता और मुख्यमंत्री रहे 'दिशोम गुरु' (संथाली भाषा में देश का गुरु) शिबू सोरेन 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे झारखंड के मुख्यमंत्री व शिबू सोरेन के पिता थे। झारखंड में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है।

अब यूएएन जनरेशन के लिए उमंग ऐप अनिवार्य

ईपीएफओ ने यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) को सक्रिय (एक्टिवेट) और जनरेट करने के लिए उमंग ऐप को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत 1 अगस्त से सभी नए यूएएन केवल उमंग ऐप के माध्यम से आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से ही जारी होंगे। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाना है।

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक - जवाहर लाल दरियो